न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या ::— 36 / 2020

तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रार्थी

बनाम

श्री हीरीबाई बेवा गंगाराम कालबेलिया निवासी भालका (अनोपपुरा) तह0 बेगूँ

विपक्षी

उपस्थित ::— तहसीलदार,बेगूँ
पैरोकार सरकार
श्री शैलेन्द्र गुरूजी
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक ::— 17.08.2020

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 84—86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील, बेगूँ की ओर से विपक्षी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 84—86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से है कि :—

यह कि प0ह0 दौलतपुरा द्वारा प्रसतुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम हरीपुरा प0ह0 दौलतपुरा की खसरा संख्या 1034 / 783 रकबा 0.4900 हैक्टर किसम बरानी 3 जो कि वर्तमान रेकार्ड के अनुसार खातेदार श्रीमति हीरीबाई पत्नि गंगाराम कालबेलिया निवासी भालका (अनोपपुरा) के नाम दर्ज रिकोर्ड है।

पटवारी हल्का दौलतपुरा द्वारा एक रिपोर्ट इस कार्यालय में इस आशय की प्रसतुत की गई कि ग्राम हरीपुरा की उक्त वर्णित खसरा संख्या 1034 / 783 रकबा .4900 हैक्टर किस्म भूमि बरानी 3 में खैर वृक्ष की कटी हुई एवं छीली हुई लकडी पडी हुई पाई गई, जिसको जब्त की जाकर क्षैत्रिय वन अधिकारी बेगूँ को सिपुर्द की गई। लकडी का वजन 139.90 क्विनटल (एक सौ उन्चालिस क्विन्टल नब्बे किलो ग्राम) पाई गई। कटी हुई लकडी के पेडों की अनुमानित संख्या 50 रिपोर्ट पटवारी में अंकित है, तथा लकडी की अनुमानित 200000 / — (दो लाख रूपये) रिपोर्ट पटवारी अंकित है।

यह कि उक्त लकडी काटने के लिए खातेदार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति इस कार्यालय से प्राप्त नहीं की गई है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84—86 के अन्तर्गत बिना स्वीकृती पेड काटना अवैध होने से प्रकरण उक्त धारो के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवामें साद् प्रेषित है।

उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा जप्तशुदा 50 पेड खैर की लकडी जिसका वजन 139.90 क्विनटल (एक सौ उन्चालिस क्विन्टल नब्बे किलो ग्राम) को नीलाम किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को लिखा गया, तहसीलदार, बेगूँ द्वारा प्रकरण में [illegible] किए जाने पर उच्चतम बोलीदार प्रा0 धवल शर्मा पुत्र महेश शर्मा नि[illegible]तौडगढ को तादादी राशि 4,25000 / — अक्षरे रूपये चार ला[illegible] जप्तशुदा लकडी सुपुर्द किये जाने हेतु स्वीकृति न्यायालय द्वारा दी गई।

पत्रावली में विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र गुरूजी [illegible] अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए विपक्षी का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी की कृषि भूमि में खडे छोटे बडे पेडा को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के काटा है। प्रार्थीया ग्रामी परिवेश की होने एवं अनपढ होने के कारण इसकी जानकारी नहीं थी जिस कारण उक्त अपराध कारित हुआ है। मुझ विपक्षीया का यह प्रथम अपराध है, आइन्दा ऐसे अपराध की पुनरावृति नहीं करूगीं, माफ फरमावें। यह कि लोक न्यायालय की भावना को ध्यान में रखते हुए विपक्षीया के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही फैसल फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में विपक्षीया द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर अपने अपराध को स्वीकार किया जाने पर प्रार्थना पत्र 84–86 रा.काश्त.अधि. पर उभयपक्ष की बहस को सुना गया। विपक्षीया द्वारा बिनों सक्षम स्वीकृति के मौजा हरीपुरा की उक्त वर्णित खसरा संख्या 1034/783 रकबा .4900 हैक्टर किस्म भूमि बरानी 3 में खैर वृक्ष को काटे जाने का जुर्म स्वीकार किया है, रिपोर्ट पटवारी अनुसार मौके पर कुल पेडो की संख्या 50 होकर लकडी का वजन 139.90 क्विनटल (एक सौ उन्चालिस क्विन्टल नब्बे किलो ग्राम) अंकित है। विपक्षीया द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार किया जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 84–86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी श्री हीरीबाई बेवा गंगाराम कालबेलिया निवासी भालका (अनोपपुरा) तह0 बेगूँ द्वारा अपने खातेदारी की आराजी मौजा हरीपुरा की उक्त वर्णित खसरा संख्या 1034/783 रकबा .4900 हैक्टर भूमि से 50 वृक्ष खैर के काटे जाने पर प्रतिवृक्ष 100/–रूपये अक्षरे रूपये सौ मात्र के हिसाब से 50 वृक्षो की जुर्माना राशि 5000/– अक्षरे रूपये पॉच हजार मात्र वसूल किये जाकर राजकोष में जमा कराये जाने का आदेश तहसीलदार, बेगूँ को दिया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह लकडीनीलामी राशि 4,25000 जुर्माना राशि 5000/– को नियमानुसार राजकोष में जमा कराते हुए न्यायालय की पत्रावली में तहसील राजस्व लेखाकार से अंकन कराना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 17.08.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चितौडगढ़

क्रमांक/स्टिरस्ता/2020/ 102
18-8-2020

निर्णय की प्रति पालना तहसीलदार, बेगूँ को दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चितौडगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested